

## FORM NO. |||

फर्द अहकाम  
नियम (28)

अज अदालत.....उपखण्ड अधिकारी.....मुकाम.....  
 अयोध्या बाई वनाम खसरा मिसल नं० ७४/२०२५ किस्म मु०.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील मे जारी हुए
14/8/25	<p>प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत पण्डित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखावाडा 2025 के द्वारा प्राप्त हुआ ,जिसमे प्रार्थी अयोध्या बाई पत्नि स्व. रतनालाल निवासी सनमानपुरा ने प्रा० पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के हिस्से की भूमि में प्रार्थी का अयोध्या बाई पत्नि स्व.रतनलाल नाम दर्ज है। जमाबंदी सवत् 2074 से 77 मुताबिक खसरा नंबर 407 में काशतगार का नाम अयोध्या बाई पत्नि स्व.रतनलाल दर्ज है। जिसकी शुद्धि के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है उक्त प्रकरण की संबधित पटवारी भू. अभि. निरीक्षक क्षेत्र द्वारा दुरस्ती करने अनुशंसा की गई। अतः तहसीलदार पीपल्दा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का नाम अयोध्या बाई पत्नि स्व.रतनालाल के स्थान पर अयोध्या बाई पत्नि स्व.रतनलाल नाम दर्ज किया जावे। आज दिनांक 13/8/25 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p>	